© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 06 Issue: 06 | October-December 2015

भक्ति आन्दोलन के उदय की परिस्थितियां

सुनीता रानी ,लैक्चरर (हिन्दी) , राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय , ईक्कस, जीन्द।

मध्यकाल को दो खण्डों में विभक्त किया गया है–पूर्व मध्यकाल एव उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने संवत 1375 वि. से 1700 वि. तक के काल खण्ड को भक्तिकाल कहा है।

पूर्व मध्यकाल अर्थात् भक्तिकाल में भक्ति आन्दोलन हुए जिससे ज्ञान व दर्शन की एक अद्भुत धारा बही। आलवर भक्तों ने गीतों के माध्यम से वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहीत भक्ति भावों को जनता तक पहुंचाया।

प्रमुख वैष्णव सम्प्रदाय के माध्यम से वैष्णव आचार्यों ने जिनमें रामनुजाचार्य, मध्याचार्य, बल्लभाचार्य तथा विष्णु स्वामी आदि न भक्ति मार्ग व इसके सम्प्रदाय का बखूबी प्रचार–प्रसार किया। हिन्दी संत कवियों जिनमें कबीर, रैदास, नानकदेव, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल, मलूकदास आदि तथा प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक कवि जिनमें मुल्लादाऊद, दामोदर कवि, कुशललाभ, कुतुबन, मलिक मुहम्मद जायसी, नन्ददास, उसमान, गणपति आदि ने अपने–अपने काव्य रचनाओं द्वारा प्रचार एवं प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी।[1]

भक्तिकाल में हुए आन्दोलनों, सम्प्रदायों का भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेषकर महिलाएं अधिकतर प्रभावित हुई। भक्ति आन्दोलन के उदय की मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियां हैं।

राजनीतिक परिस्थिति

उत्तर भारत में 1325–1526 ई. तक तुगलक वंश, सैयद बंश तथा लोदी वंश का शासन रहा। मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, जोन्नसाहि, मुलतान, महमूद शाह तक तुगलक वंश का

शासन रहा, तदुपरान्त दिल्ली पर खिजखां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई जो 1451 ई. तक चलता रहा। लादी वंश का सबसे प्रभावशाली सुलतान इब्राहिम लोदी था, जिससे 1526 ई. में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया।

भक्तिकाल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा, बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्तिकाल की समय सीमा है। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू–व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किये। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिन्दू–मुस्लिम जनता में ही सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिन्दुओं का पराभाव हो गया, किन्तु वे अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। दोनो सम्प्रदायों के धर्माचार्य भी उनके द्वेष को बढ़ाने में योग देते रहते थे।

उत्तर भारत में तुर्की आक्रमण के उपरान्त पर्दा प्रथा का प्रचलन व्यापक हो गया यद्यपि पर्दा प्रथा की शुरूआत यमनों के काल से मानी जाती है, लेकिन आमजन में इसका प्रचलन मुगल शासकों व उनके सामंतों में विलासिता चरम सीमा पर होने के कारण हुआ। बड़े शासकों व सामंतो का जाल काफी दूर–दूर तक फैला होता था। जहाँ पुरूषों के प्रवेश पर पाबंदी थी। इससे महिलाओं की खरीद–फरोख्त भी शुरू हो गई, जिससे महिलाएं केवल बिकाऊ वस्तु बनकर रह गई। मध्यकाल का यह युग महिलाओं की हीनतम स्थिति का साक्षी है। परन्तु मध्यकाल में दो भिन्न संस्कृतियों के मिलाने के उपरान्त भी समाज में स्त्रियों की स्थिति दोनो हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों में अन्तर था।

सामाजिक परिस्थिति

वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिन्दू, छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच–नीच की भावना विद्यमान थी। हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिन्दू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर में ले जाते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता

बन गई थी। हिन्दुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछात समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिन्दू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गये थे। साधू सन्तों में पाखण्ड, आडम्बर अधिक व्याप्त था।

ग्यारहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। एक तरह से यह महिलाओं की प्रजाति, सम्मान, विकास और सशस्त्रीकरण का अंधकारमय युग था। उत्तर कालीन स्मृतियों में नारियों की जिस हीन स्थिति का वर्णन किया गया था, परवर्ती काल में और हीनतर हो गई। बारहवीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति पतनोन्मुख होती गई। ऐसे अनेक ग्रथों का प्रणयन हुआ जिसमें स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु बताया गया।

मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इस समय बाल विवाह बहुत अधिक बढ़ गये थे, तो विधवा विवाह की अनुमति किसी को भी नहीं थी। सतीप्रथा और पर्दाप्रथा अपने चरम पर थी और महिला शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी थी।

सन् 1200 से 1757 ई. तक के मध्यकाल में भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर इस समय तक हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था ने भी अपने पैर पसार लिए थे। महिला शिक्षा पूरी तरह समाप्त हो गई थी और पर्दा प्रथा सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। अब सती प्रथा अपने चरम पर पहुंच गई थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए 4–5 साल की कन्याओं का भी विवाह कर दिया जाता था।

इस काल में महिलाओं की आजादी छीनकर 'गृहस्थी' को ही उनकी समस्त गतिविधियों का केन्द्र बना दिया गया था। इस प्रकार महिलाएं पति की दासी और उपभोग करने की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी।

धार्मिक परिस्थिति

बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान शाखाओं में बहुत पहले बट चुका था। महायान सम्पदाय ने जनता के निम्न वर्ग को जादू–टोना, अभिचार, तंत्र–मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर

लिया और धर्म के नाम पर वाममार्ग को अपनाकर मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकाण्डों के स्थान पर 'गुरू' को महत्त्व दिया गया। ईश्वर को घट–घट व्यापी एवं निराकार माना गया।

मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिन्दुओं की भांति माला फेरते थे। हज यात्रा करते थे, रोजा रखते थे। हिन्दुओं और मुसलमानों में धर्म का बाह्याडम्बर तो था, किन्तु आन्तरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार–प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया जिससे विष्णु के अवतारों–राम, कृष्ण के प्रति आस्था तथा विश्वास में वृद्धि हुई और रामानन्द ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानन्द ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोकरंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के दसम स्कंध के आधार पर कविगण करने लगे।

सूफी धर्म का प्रचार एक बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी सम्प्रदाय की जड़े इस भूमि में पनपने लगी। हिन्दू–मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो कोटियां हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेशरा सम्प्रदाय के हैं जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग है। सूफियों के 5 सम्प्रदाय प्रसिद्ध है। 1. चिश्ती, 2. कादिरी, 3. सुहरावर्दी, 4. नक्शबंदी तथा 5. शत्तारी। इन सम्प्रदायों की भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। इस काल में धर्माचार्य के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार भी पनपा। मध्यकाल में रूचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई।

सांस्कृतिक परिस्थिति

भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्णिम काल है। कला, संस्कृति, दर्शन, काव्य सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट है। भक्ति काल के प्रादुर्भाव ने हिन्दी काव्य को नई चेतना एवं नये रास्ते प्रदान किये

हैं। भक्ति काल के प्रथम चरण में भारतवर्ष मे तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश का शासन रहा तथा द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर व शाहजहा मुगल शासकों ने राज किया। मुहम्मद बिन तुगलक की नीति हिन्दुओं के प्रति उदार थी किन्तु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी, हिन्दू छुआछूत में विश्वास रखते थे। उनमें ऊंच–नीच की भावना विद्यमान थी। अनेक हिन्दू धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गये थे। साध–संतों में पाखण्ड, आडम्बर अधिक व्याप्त था। हिन्दुओं और मुसलमानों में वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में आदान–प्रदान होने लगा था। मुसलमान मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिन्दुओं की भांति माला फेरते थे। हजयात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। मुसलमानों में आंतरिक शुद्धि का अभाव था।[5]

दक्षिण भारत से भक्ति का स्रोत आरम्भ हुआ। बौद्ध धर्म का विरोध होकर अद्वैतवाद का प्रचार शुरू हुआ। रामानन्द ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। सूफी धर्म का प्रचार भी बड़े जोर–शोर से हुआ। इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्याभिचार भी पनपा।

भक्तिकाल के प्रथम चरण में मुसलमान शासकों के हिन्दू विरोधी दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दूषित एवं घोर संकट में थी। मुसलमानों का आचरण हिन्दू महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण एवं कामुक था। सुन्दर हिन्दू कन्याओं का या तो क्रय कर लिया जाता या अपहरण कर लिया जाता था। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। महिलाओं पर मंदिरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों म हिस्सा लेने पर कठोर प्रतिबन्ध था।

सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने तैयार किया था जिसका विरोध कट्टर मुसलमानों ने किया। महिलाएं स्वेच्छा से कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। हिन्दू स्त्रियों की अपेक्षा मुस्लिम स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। वह अपनी इच्छानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकती थी तथा मस्जिद आदि में अपने धार्मिक क्रिया–कर्मो में भाग ले सकती थी। मुस्लिम महिलाओं को हिन्दू पुरूषों से किसी प्रकार का भय नहीं था।

भक्ति आन्दोलन के कारण

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भक्ति आन्दोलन के निम्न कारण बताएं हैं–

1. देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने से जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख स्वाभाविक था।
2. हिन्दू जनता में भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृति का समन किया।
3. तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया।
4. भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। सातवीं सती में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारम्भ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई।

अन्य मत

1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति भावना पराजित मनोवृति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात प्रचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। उनका तर्क यह भी है कि हिन्दू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है।
2. डा0 सतेन्द्र के अनुसार–**''भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानन्द।''**
3. रामानुजाचार्य, रामानन्द, निम्बर्काचार्य, बल्लभाचार्य जैसे विद्वानों ने अपने सिद्धान्तों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतार वाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर–मीरा, तुलसी ने काव्य रूप प्रदान किया।

हिन्दी साहित्य में भक्ति आन्दोलन का प्रारम्भ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परम्परा में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आन्दोलन के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्मान्धता और इस्लाम के बलात प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिन्दू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की।

भक्ति आन्दोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है जो अत्यन्त शक्तिशाली एवं व्यापक रही है।